राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – I I : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

10282
क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1409 / 2015 / दिनांकः 20.8.2015
24

श्रीमती शोभा गुप्ता,
ए–5 / 3, उपकार कालोनी,
बुराड़ी,
दिल्ली–110084.

उप निदेशक (राजस्व) उ0 / उ0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्रीमती शोभा गुप्ता के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 31–07–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 20.08.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्रीमती शोभा गुप्ता के पुत्र श्री योगेश कुमार गोयल उपस्थित हुए एवं श्री गुलाब सिंह, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)– I I, बुराड़ी, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 24.06.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 31.07.2015 को दायर की । अपीलकर्ता के अनुसार आधी अधूरी और गलत जानकारी प्रदान की गई । अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा नए जल कनैक्शन के लिए जमा कराए गए प्रार्थनापत्र की प्रथम प्रति को क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय में बदल दिया गया है । उन्होंने मूल प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए प्रश्न संख्या 1 में आवेदन किया है । अगर अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप सही है तो इसमें दोषी कर्मचारी के विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जनसूचना अधिकारी, जो कि क्षेत्रीय उप निदेशक भी हैं, केस उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें ।

प्रश्न संख्या 2 वैध नहीं है । प्रश्न संख्या 3 में सहायक जनसूचना अधिकारी जो कि क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी भी हैं, को यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के पारित होने के 15 दिन के अन्दर आवेदनकर्ता को सम्बद्व प्रतिलिपियों की जांच करने के

4413
27/08/15

Actt, h prog-I

8-9-15

लिए उचित समय प्रदान किया जाए और जिन प्रतिलिपियों की मांग आवेदनकर्ता द्वारा की जाए, उसे नि;शुल्क उपलब्ध कराई जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0
अमित सतीजा
प्रथम सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमती शोभा गुप्ता, ए–5 / 3, उपकार कालोनी, बुराड़ी, दिल्ली–110084.
2. उप निदेशक (राजस्व) उ0 / उ0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)– ।।, बुराड़ी ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाइ ट पर इस आदेश को डालने हेतु।

प्रथम सूचना अधिकारी